राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक एफ 4 (21)ग्रावि/अनु.–8/2015 जयपुर, दिनांक 26.6.2015

## विडियो कॉन्फ्रेंस कार्यवाही विवरण

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निर्देशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों के साथ दिनांक 24.6.2015 को विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गयी है। विडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान निम्न निर्देश प्रदान किये गये:–

1 कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेंस प्रारम्भ होने के बाद तक उपस्थित नहीं हुए। अतः भविष्य में यह सुनिश्चित करें कि सभी समय पर उपस्थित हों।
2 गत विडियो कांन्फ्रेन्स के कार्यवाही विवरण की अनुपालना रिपोर्ट जिला झुंझुनूं, टोंक एवं सिरोही के अतिरिक्त किसी भी जिले से प्राप्त नहीं हुई है।
3 किसी भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जिलों की समीक्षा कर अ.शा. पत्र नहीं भिजवाया गया है।
4 जिलों द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी व अन्य के लिए निर्धारित निरीक्षणों के अनुरूप निरीक्षण कर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है।

### पंचायतीराज विभाग

1. विभिन्न जिलों से यह ध्यान में आया है कि वार्ड पंच व सरपंच को जानकारी उपरान्त भी शौचालय निर्माण एवं उसका उपयोग करना सुनिश्चित नहीं हुआ। अतः समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें।
2. अन्य राज्यों में स्कूली बच्चों का स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार–प्रसार के लिए सहयोग लिया जा रहा है जिसमें बच्चों को एक कार्ड देकर घर में शौचालय निर्माण एवं उपयोग की सुनिश्चितता की जाती है। राज्य में भी इस प्रकार के प्रयोग कर स्वच्छ भारत अभियान को ओर प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
3. टीएफसी में दी जा रही राशि को किश्तों में दिये जाने से योजना के प्रभावी कियान्वयन में सहायक हो सकती है या नहीं, इस संबंध में सीईओ अपने विचार भेज सकते है।
4. स्वच्छ भारत अभियान की सभी सीईओ प्रत्येक दिन प्रगति की समीक्षा अपने स्तर पर करेगें।

## महात्मा गांधी नरेगा योजना

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना में सीसीबी व मिनी बैंक से खातों का हस्तान्तरण राष्ट्रीयकृत बैंक में किया जाना है जो कि अधिकांश जिलों द्वारा नहीं किया गया है। भामाशाह योजना में खोले गये खातों को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब सभी खातों को राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवाया जाये।
2. योजना के संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन जोब कार्ड कार्यस्थल पर रखा जाना सुनिश्चित करें।
3. पूरे राज्य में 16 से 21 जुलाई 2015 तक विशेष अभियान चलाकर राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोला जाना सुनिश्चित करें, इसके लिए जिला कलक्टर स्तर पर जिला स्तरीय बैंकर्स कोर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी आयोजित करायी जाए। जिला स्तर पर डीएलसीसी में तथा राज्य स्तर पर एसएलबीसी में इस मुद्दे को जोर–शोर से उठाया जाए।
4. जिन मामलों में लाभार्थी द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खुलवाया गया है उनको राष्ट्रीयकृत बैंक के नये खाता नम्बर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. योजना का 30 प्रतिशत व्यय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों पर व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। जिन सीईओ द्वारा इसकी अनुपालना नहीं की जा रही है उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन में यह अंकित किया जायेगा कि वे अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों के प्रति संवेदनशील नहीं है।
6. नये प्रावधानों के तहत 100 दिवस के मस्टररोल को एक साथ जनरेट की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अतः भविष्य में व्यक्तिगत लाभ के कार्यो पर लाभार्थी से एक साथ 100 दिवस की मांग का प्रपत्र 6 भरवाकर एक साथ 100 दिवस के मस्टररोल जारी करें।
7. व्यक्तिगत लाभ के कार्यो की सीमा रू. 2 लाख से बढ़ाकर रू. 3 लाख की जा रही है।
8. सभी जिलों को प्रशासनिक मद में 6 प्रतिशत तक व्यय किये जाने का प्रावधान है। जिन जिलों का प्रशासनिक मद में अधिक व्यय है उनको राज्य स्तर पर गंभीरता से लिया गया है। इस संबंध में विस्तृत समीक्षा हेतु 10 प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक व्यय वाले जिलों के साथ **सोमवार 29.6.2015 को 3.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेन्स आयोजित** की जायेगी।
9. ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर योजना में लम्बे समय से कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है वहां के अनुबन्ध पर नियुक्त रोजगार सहायकों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए तथा

नियमित रोजगार सहायक/ क0लिपिक को सरप्लस कर राज्य स्तर पर सूचित किया जाए।

10. तकनिकी स्टाफ का वेतन सामग्री मद में बुक किया जाये।
11. योजना में कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में विभिन्न स्तर पर जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।
12. मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम डीएस एण्ड डी दर पर खरीदा जाये तथा उसे सोमवार तक शीघ्र लागू कर दिया जाए तथा इस संबंध में प्रत्येक सीईओ आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा को एसएमएस के माध्यम से सोमवार को सूचित करेंगे।
13. जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतें लम्बे समय तक लम्बित रहती है। अतः समस्त शिकायतों का निस्तारण आगामी एक सप्ताह में किया जाना सुनिश्चित करें।
14. (LIFE) लाईफ योजना के तहत ऐसे परिवार जहां गत वर्ष में 100 दिवस रोजगार दिया गया है उनमें 18 से 35 वर्ष के आयु समुह के सदस्यों को स्व–रोजगार हेतु ट्रेनिंग दिये जाने का प्रावधान किया है। अतः सभी सीईओ लाभ पाने योग्य व्यक्तियों की पहचान राजीविका/RSETY/RSLDC के माध्यम से कर सूची तैयार करें जिससे उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके।
15. सामाजिक अंकेक्षण अभियान में नोड्ल अधिकारी की रिपोर्ट, अनियमितताओं के सारांश की रिपोर्ट एवं ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई की रिपोर्ट जिन जिलों से हस्ताक्षर के बिना एवं सुनवाई करने वाले अधिकारी के नाम के बिना प्राप्त हुई हैं उन्हें आवश्यक कार्यवाही के साथ तत्काल भिजवायें।
16. पाली से ब्लॉक लेवल सुनवाई की रिपोर्ट अप्राप्त है, जिसे तुरंत भिजवायें।
17. सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2014–15 के प्रथम एवं द्वितीय चरण की अनियमितताओं के सारांश की रिपोर्ट जिन जिलों से अभी तक नहीं भेजी गयी है वे अविलम्ब भिजवायें।

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

1. आवास योजना के तहत वर्ष 2011–12 में स्वीकृत अपूर्ण आवासों को दिनांक 30.6.2015 तक पूर्ण करवाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा सबसे ज्यादा लम्बित वाले 10 जिलों को नोटिस भी जारी किया गया था लेकिन किसी भी जिले का संतोषजनक जवाब/प्रगति नहीं आयी है। अतः जिन जिलों द्वारा दिनांक 1.7.2015 तक वर्ष 2011–12 के समस्त आवास पूर्ण नहीं कराये जायेगें उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. आवास योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले विकास अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा गया था लेकिन सीईओ द्वारा उनके खिलाफ

अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी। अब दिनांक 30.6.2015 तक अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

3. आवास योजना हेतु परिवारों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगातार की जानी थी। अधिक रजिस्ट्रेशन उपरान्त इनका उपयोग आगामी वर्षों में किया जायेगा। वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृतियॉ इसी माह जारी की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा विशेष चिन्हित परिवारों के लिए 3000 आवास इस वर्ष स्वीकृत किये गये है। ऐसे परिवारों की पहचान दिनांक 30.6.2015 तक पूर्ण की जानी है यह सभी जिले सुनिश्चित करें।
5. एमएलए लैड योजना में स्वीकृति जारी करने की अवधि 45 दिवस सुनिश्चित है लेकिन जिलों द्वारा इस अवधि में स्वीकृतियॉ जारी नहीं की जा रही है। एमएलए लैड एवं अन्य सभी योजनाओं में 45 दिन में सभी स्वीकृतियॉ जारी किया जाना सुनिश्चित करें तथा स्वीकृतियों में देरी के संबंध में आईडब्ल्यूएमएस से एसएमएस अलर्ट जारी कराया जाए।
6. ग्रामीण विकास योज़नाओं में तकनिकी स्वीकृतियॉ मौके पर जाकर नहीं बनायी जाती है जिनके कारण भूमि विवाद आदि के कारणों से कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाता। अत: तकनिकी स्वीकृति संबंधित तकनिकी अधिकारी मौके पर जाकर बनाना सुनिश्चित करें। निर्माण के दौरान निर्धारित निरीक्षण तकनिकी अधिकारी द्वारा किया जाये तथा मौके पर एमबी को नियमानुसार भरी जाए।
7. वर्ष 2014–15 के लगभग 5000 कार्य अभी भी अप्रारम्भ है। इसके संबंध में सचिव महोदय के स्तर से सभी सीईओ को अ.शा. पत्र लिखा जाये।
8. विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि की स्वीकृतियॉ 30 जून तक जारी की जानी है। अत: उन जिलों को शासन सचिव महोदय की ओर से लिखवा कर निर्देशित किया जाए और दिनांक 30 जून 2015 की आवंटित राशि की स्वीकृतियॉ जारी कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में 128 ग्राम पंचायतों की पहचान की गयी है शेष 72 ग्राम पंचायतों के लिए संबंधित सीईओ मा0 विधायकगणों से सम्पर्क कर आदर्श ग्राम पंचायतों की पहचान 30 जून 2015 तक करना सुनिश्चित करें।
10. आदर्श ग्राम योजना में सभी जिलों द्वारा ग्राम विकास योजना (वीडीपी) तैयार कर ली गयी है उनकी 30 जून 2015 तक समस्त कार्यो की स्वीकृति जारी करायी जाए।
11. जिलों द्वारा 1.4.2014 से पूर्व स्वीकृत कार्य जो वर्तमान में अप्रारम्भ/ प्रगतिरत है उनकी सूचना आईडब्ल्यूएमएस पर उपलब्ध करायी गयी है जो कि 3104 है। सभी सीईओ यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां लम्बित समस्त कार्यो की सूचना

आईडब्ल्यूएमएस पर अपलोड कर दी गयी हो तथा इन सभी कार्यो को 31.12.2015 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

12. राजसमंद जिले में लेखाधिकारी नहीं है। अतः अन्य विभागों के लेखाधिकारी से कार्य लेने के लिए उनको वित्तीय शक्तियॉ प्रदान की जानी है। इस संबंध में मुख्यालय से शक्तियॉ प्रदान की जाये।

सधन्यवाद वी.सी. समाप्त की।

(उज्ज्वल राठौड)
संयुक्त शासन सचिव(प्रशा.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
7. निजी सचिव, निदेशक, मिड़–डे–मील, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, समस्त, राज0।
9. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन–2), पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक(सीसीडीयू), पंचायती राज विभाग।
11. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग।
12. संयुक्त शासन सचिव, जिला आयोजना, पंचायती राज विभाग।
13. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/महानरेगा/पंचायती राज विभाग।
14. परि. निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस. ग्रामीण विकास विभाग।
15. परि. निदे. एवं उप सचिव,/एसएपी/(मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राज0।
17. अति. मुख्य अभियन्ता, एसएपी–सीएसएस, ग्रामीण विकास विभाग।
18. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/महानरेगा (श्री योजना)।
19. अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट/स्वच्छता, पंचायती राज विभाग।
20. संयुक्त निदेशक, मॉनिटरिंग, पंचायती राज विभाग।
21. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

26.6.15
(डा0 के.सी.कलाकार)
मूल्यांकन अधिकारी (एम एण्ड ई)